न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 467/2018

SCMS NO. : 2018/00366

–: प्रार्थी :–

1. उदाराम पुत्र पेराराम फौत के का.मु.
   1.1 रामप्यारी पत्नी उदाराम
   1.2 नाथूराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी खारचिया
   1.3 परेस्ता पुत्री उदाराम पत्नी लखाराम जाति जाट निवासी आ.कालू तहसील जैतारण।
2. बुद्धाराम पुत्र भंवरूराम
3. दयालराम पुत्र भंवरूराम फौत के का.मु.
   3.1 सुमन पत्नी दयालराम
   3.2 कुमारी दिपीका पुत्री दयालराम जरिये कुदरती वलिया माता सुमन पत्नी दयालराम
4. जैराम पुत्र गोपा जातियान जाट निवासी खारचिया तहसील– जैतारण।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. नाथी देवी पत्नी चन्द्राराम
2. प्रभु पुत्र गोपा
3. दुर्गा पुत्र गोपा फौत के का. मु.
   3.1 छोटी देवी पतनी दुर्गा
   3.2 सुराराम पुत्र दुर्गा
   3.3 रतनाराम पुत्र दुर्गा
   3.4 लाडू देवी पत्नी स्व. अणदाराम पुत्री दुर्गा जाति जाट निवासी लिलिया तहसील– रियांबड़ी जिला–नागौर।
4. भींकाराम पुत्र भंवरूराम जातियान जाट निवासी खारचिया, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज०।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज०।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.13/12/2018**

उपस्थित:–

1. श्री तुलसाराम माली, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी,सोमाराम चौधरी, गौतम गहलोत,अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 08/03/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी संख्या 01 [illegible] संख्या 01 के भाई चन्द्राराम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या [illegible] है तथा प्रार्थी संख्या 2 एवं प्रार्थी संख्या 2 के भाई भिकाराम अप्रार्थी [illegible] व दयालराम फौत के का.मु. प्रार्थी संख्या 3/1 सुमन व 3/2 नाबालिग कुमारी दिपीका की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 57 व 58 है। प्रार्थी संख्या 4 जैराम व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रभु व दुर्गा सगे भाई जिनके संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि जिनके खसरा संख्या 56 है जो ग्राम खारचिया तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित है। प्रार्थी संख्या 01 एवं उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला–पाली

भाई चन्द्राराम के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 35 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 52 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा है। जिसका आज से करीब 40 वर्ष पहले से मौके पर परिवारिक बंटवाड़ा पश्चिम से पूर्व उपरोक्त दोनो खसरो को मिलाकर 1/2 हिस्से अनुसार किया हुआ है। जिसमें खसरा संख्या 35 के उतरी तरफ का हिस्सा व खसरा संख्या 52 का दक्षिणी तरफ का हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 उदाराम का है जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया हुआ है। प्रार्थी संख्या 2 बुद्धाराम व उसके भाई अप्रार्थी संख्या 4 भीकाराम व दयालराम फौत के का.मु. प्रार्थी संख्या 3/1 सुमन व प्रार्थी संख्या 3/2 नाबालिग दिपीका के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 57 रकबा 3-06 बीघा, खसरा संख्या 58 रकबा 2-14 बीघा है जिसका आज से करीब 40 वर्ष पूर्व मौके पर पारिवारिक बंटवाड़ा पूर्व से पश्चिम की ओर उपरोक्त दोनो खसरो को मिलाकर 1/3 हिस्सानुसार किया हुआ है जिसमें खसरा संख्या 58 के दक्षिणी तरफ की माठ के पास प्रार्थी संख्या 2 बुद्धाराम व उसके पास में प्रार्थी संख्या 3/1 सुमन व 3/2 दिपीका व इसके पास मे अप्रार्थी संख्या 04 का हिस्सा बंट में आया हुआ है। प्रार्थीगण के हिस्से को संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थी संख्या 4 जैराम व अप्रार्थी संख्या 2 प्रभु व अप्रार्थी संख्या 3 दुर्गाराम सगे भाई जिनके संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सख्या 56 रकबा 7-05 बीघा है। भाईयो के पारिवारिक बंटवाड़े के अनुसार आज से करीब 40 वर्ष पूर्व ही खसरा संख्या 56 रकबा 7-05 का खेत प्रार्थी संख्या 4 जैराम के हिस्से में आ गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रभु व दुर्गाराम को पारिवारिक बंटवाड़े में अन्य खेत हिस्से में दे दिये गये। प्रार्थी संख्या 4 जैराम का खेत खसरा संख्या 56 पर पारिवारिक बंटवाड़े के पश्चात कब्जा काश्त है जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया हुआ है। खसरा संख्या 61 गैरमुमकिन रास्ता सरहद मौजा खारचिया तहसील जैतारण पाली है जो गांव खारचिया से लिलियां गांव तहसील रियां बड़ी को जाता है। खसरा नम्बर 59 रकबा 12-02 बीघा अप्रार्थी संख्या 01 नाथी देवी धर्म पत्नी चन्द्राराम कौम जाट निवासी खारचिया तहसील जैतारण का है। प्रार्थीगण को अपने-अपने खेत खसरा संख्या 35, 52, 56, 57, 58 में आने-जाने हल बैल, खाद, बीज, छकड़ा, टेक्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिए खसरा संख्या 61 गैरमुमकिन रास्ता से खसरा संख्या 59, 58, 56 की दक्षिणी माठ के पास खसरा संख्या 59,58 व 56 की भूमि में 20 फुट चौडा रास्ता कदिमी सेटलमेंट के समय से चला आ रहा है जिसका उपयोग,उपभोग प्रार्थीगण पीढियो से कर रहे है जिस रास्ते की प्रार्थीगण को अत्यधिक आवश्यकता है और यह रास्ता प्रार्थीगण को भूमि की जोत के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण को अपने उक्त खसरा नम्बर के खेतो में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता ही नही है। तथा सबसे नजदीक में यही एक मात्र रास्ता है जिसे नक्शे में लाल स्याही से ए,बी,सी,डी से दर्शाया हुआ है। जिसे प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे। खसरा संख्या 59 की खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमती नाथी देवी जमीनो [illegible] राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम नही होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण के [illegible] में कभी काटे डाल देती है तो कभी इसे बन्द करने की धमकी [illegible] देगी तथा प्रार्थीगण को इस रास्ते से आने जाने नहीं देगी। प्रार्थी संख्या 2 [illegible]द्धाराम प्रार्थी संख्या 3/1 सुमन प्रार्थी संख्या 4 जैराम अपने खेत खसरा नम्बर क्रमशः 58 व 56 में बने रास्ते में किसी प्रकार का कोई विघन या आपत्ति नहीं करते है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

खातेदारी के खेत खसरा संख्या 59 में बने हुए 20 फूट चौड़े रास्ते को बन्द कर दिया तो प्रार्थीगण अपने खेतो में आने-जाने खाद, बीज लाने ले जाने हल, बैल, छकड़ा, टेक्टर इत्यादि लाने ले जाने से महरूम रह जायेगे तथा कृषि कार्य नही कर सकेंगे इसलिए उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाना जरूरी है। उक्त प्रार्थनापत्र अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 से 04 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ, जो सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 02, 3/1 से 3/4 व 04 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र का समर्थन किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो निम्नानुसार है-
प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कथनों को प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है बल्कि वास्तविकता में खसरा नम्बर 35 की भूमि एवं खसरा नम्बर 52 की भूमि प्रार्थी उदाराम तथा चन्द्राराम के संयुक्त व सामलाती है। जिसका आज दिन तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हुआ है। प्रार्थी उदाराम ने अपनी मनमर्जी से खसरा नम्बर 35 के उत्तरी तरफ तथा खसरा नम्बर 52 के दक्षिणी तरफ अपनी हिस्से की भूमि होना बताया है जो कतई गलत है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 56, 57 व 58 की भूमि भी उनके खातेदारों के बीच संयुक्त व सामलाती है जिसके सम्बन्ध में इस पद प्रार्थीगण ने बंटवाड़ा होने के बाबत झूठे तथ्यो का समावेश किया तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 04 ने आपस में दूरभीसन्धी करते हुये यह निराधार कार्यवाही पेश की है जो कतई गलत होने से स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित तथ्यों को प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन सही होने से स्वीकार है। उक्त खसरा नम्बर 59 के पूर्व खातेदार भंवरलाल जी गोदारा थे। जिन्होने अपनी जायज जरूरत हेतु उक्त सम्पूर्ण खसरा की भूमि का बैचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जवाब देहन्दा नाथी देवी को करते हुये मौके पर ही सम्पूर्ण जमीन का कब्जा केता नाथी देवी को सौंप दिया था। उस दौरान भी इस भूमि के पूर्वी दिशा में यानि खारचिया से लिलिया जाने वाले रास्ते की तरफ पक्की दिवार बनी हुई थी। तथा मौके पर ही खसरा नम्बर 60 से पूर्वी उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 59 के पूर्वी दक्षिणी तरफ के कॉर्नर में पक्का निर्माण बना हुआ था। तथा उक्त बैचान के समय विक्रेता ने मय मकान व निर्माण सुदा भूमि का बैचान जवाब देहन्दा नाथी देवी को किया था। जिसकी मौका स्थिति का नजरी नक्शा एवं फोटोग्राफ इस जवाब के साथ पेश है जिसको जवाब का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। वास्तविकता में मौके पर खसरा नम्बर 35 एवं 52 तथा खसरा नम्बर 56, 57, 58 की भूमि में आवागमन के लिये रास्ता वर्षो पूर्व से खसरा नम्बर 34 की भूमि के पूर्वी तरफ से होता हुआ निकलता है जो खारचिया से बाकावास निकलने वाले रास्ते से उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 34 मे से माठ पर होता हुआ आगे [illegible] 35, 52 अन्य खसरा नम्बर की भूमियों में जाता है माफिक मौके स्थिति [illegible] नक्शा बनाकर इस जवाब के साथ पेश किया जा रहा है जिसे [illegible] माना जावे। इस प्रकार से इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 04 सहित चन्द्राराम स्वयं अपने खातेदारी भूमि में आवागमन करते रहे है। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने जवाब देहन्दागण की खरीद सुदा व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 59 के दक्षिणी तरफ रास्ता होना गलत बताया है। इस प्रकार इस पद में वर्णित अनुसार मोके पर कभी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कोई रास्ता नहीं रहा था। न ही वर्तमान में ऐसा कोई रास्ता है। बल्कि खसरा नम्बर 59 की भूमि के पूर्वी दक्षिणी तरफ जवाब देहन्दा का पक्का रहवासी मकान बना हुआ है व खसरा नम्बर 59 के पूर्वी सम्पूर्ण माठ पर पक्की चार दिवारी बनायी हुई है। प्रार्थीगण ने इस पद में झूठे तथ्यों का समावेश किया है मौके पर खसरा नम्बर 35, 52, 56, 57, 58 की भूमियो पर आवागमन के लिये खसरा नम्बर 34 की भूमि से रास्ता होने के बावजूद भी यह विधिक कार्यवाही पेश की है जो कतई गलत है। तथा प्रार्थीगण ने अपने ओर से प्रस्तुत कार्यवाही के साथ मौका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा बनाकर के पेश किया है जो कतई गलत है। तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत इस कार्यवाही में दर्शाये गये स्थल पर सेटलमेन्ट से लगातय आज दिन तक कभी भी कोई रास्ता नही रहा है। उसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने मौके स्थिति का पूर्णतया फर्जी नजरी नक्शा बनाकर के यह कार्यवाही पेश की है जो असत्य होने से अस्वीकार है एवं उक्त कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारिज कि जावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन पूर्णतया गलत झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 59 की भूमि से होते हुये सेटलमेन्ट से लगायत आज दिन तक मौके पर कभी भी कोई रास्ता नही रहा है। बल्कि जहां पर जवाब देहन्दा के पक्के आवास रहवास वर्षो पूर्व यानि जवाब देहन्दा द्वारा उक्त भूमि खरीद से पूर्व ही बने हुये है। उस स्थल पर प्रार्थीगण ने रास्ता होना झूठा बताया है व झूठा नजरी नक्शा पेश किया है। जब मौके पर आज दिन तक कभी भी कोई रास्ता नही रहा है तो जवाब देहन्दा द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता अवरुद्ध करने से सम्बन्धित धमकीया देने के कथन भी कतई गलत अस्वीकार है, होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 59 से होते हुये कोई रास्ता ही नही निकलता तो बुधाराम व अन्य प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 58, 56 में रास्ता होने के कथन भी कतई गलत है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 04 ने आपस में दूरभीसन्धी करते हुये यह निराधार कार्यवाही पेश की है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 08 में वर्णित कथन पूर्णतया गलत झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 59 की भूमि से होते हुये सेटलमेन्ट से लगायत आज दिन तक मौके पर कभी भी कोई रास्ता नही रहा है बल्कि जहां पर जवाब देहन्दा के पक्के आवास रहवास वर्षो पूर्व यानि जवाब देहन्दा द्वारा उक्त भूमि खरीद से पूर्व ही बने हुये है। उस स्थल पर प्रार्थीगण ने 20 फुट चौड़ा रास्ता होना झूठा बताया है व झूठा नजरी नक्शा पेश किया है। एवं हल बैल छकड़ा निकलने के कथन भी कतई गलत है। जब मौके पर आज दिन तक कभी भी कोई रास्ता नही रहा है तो जवाब देहन्दा द्वारा प्रार्थीगण का रास्ता अवरुद्ध करने से सम्बन्धित आरोप कतई गलत है। तथा इस स्थल पर रास्ता नही होने से तरमीम भी किया जाना कतई गलत होने से अस्वीकार है। इस प्रकार से प्रार्थीगण ने इस प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता एवं उसका नजरी नक्शा बताया है उक्त प्रस्तावित रास्ता व उसका नजरी नक्शा कतई गलत है। वास्तविकता में इस पद में वर्णित अनुसार मौके पर सेटलमेंट से लगायत आज दिन तक न तो मौके पर कोई रास्ता रहा है न ही वर्तमान में ऐसे कोई रासता चल रहा है। प्रार्थीगण ने पूर्णतया कपोल कल्पित व झूठा नजरी नक्शा मौका स्थिति के विपरित नजरी नक्शा बनाकर यह कार्यवाही पेश की [illegible] कतई गलत है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 35 व 52 के सहहिस्सेदार [illegible] पक्षकार नही बनाया है इस प्रकार से प्रोपर व आव[illegible] के अभाव में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारि[illegible] की जावे। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण कार्यवाही में कब बिनाय वाद प्राप्त हुआ इस बाबत् भी कोई खुलासा नही किया हुआ है इस प्रकार से जब प्रार्थीगण को जवाब देहन्दा के विरुद्ध जब बिनाय वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

...प्राप्त होता तो प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही काबिल खारिज के होने खारिज की जावे। खसरा नम्बर 59 जवाब देहन्दा के खातेदार व कब्जाशुदा जमीन है जिस पर वक्त सेटलमेंट से लगायत आज दिन तक मौके पर कभी कोई रास्ता नही रहा है न ही वर्तमान में रास्ता है। उसके बावजूद भी विकल्पेन रास्ता दिया जाता है तो खसरा नम्बर 59 की भूमि के दक्षिणी तरफ जवाब देहन्दा के पक्के आवास रहवास बने हुए होने एवं पक्की चार दिवारी होने से इस खसरा नम्बर 59 की भूमि के उत्तरी तरफ 10 फुट चौड़ाई में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 57 तक की भूमि में आवागमन के लिए रास्ता दिया जाता है तथा इस रास्ते में काम आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण से जवाब देहन्दा बराबर रकबा की भूमि दिलवाई जाती है तो जवाब देहन्दा इसमें सहमत है। जवाब देहन्दागण रास्ते के काम में आने वाली भूमि के बदले प्रतिफल की राशि लेने में भी कतई सहमत नही है कारण कि खसरा नम्बर 59 से चिपते हुए ही खसरा नम्बर 57 व 58 प्रार्थीगण की भूमि होने से इस रास्ते की भूमि के बदली प्रार्थीगण से जवाब देहन्दा नाथी देवी को भूमि दिलवाई जावे।

तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./21/316 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्र क्रमांक/भू.अ./21/4763 दिनांक 12.11.2021 मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा भू.अ.नि. लाम्बिया द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट तथा नजरी नक्शा पेश किया जो सा0मि0 है। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत मौका एवं तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं भु.अ.नि. की मौका फर्द के अनुसार प्रार्थी द्वारा खेत में जाने हेतु वर्तमान में रास्ता नहीं है। उपरोक्त रास्त कृषि कार्य हेतु चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा तहसीलदार जैतारण की रिपोर्ट में दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता मार्क ए,बी से सी,डी खसरा नम्बर 34 में से लम्बाई 480 फीट एवं चौड़ाई 13.2 फीट यानि 6336 वर्ग मीटर अर्थात लगभग 0.0588 हैक्टर है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 एवं उसके भाई चन्द्राराम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 35 तथा 52 है जिसका मौके पर पारिवारिक बंट्वाड़ा किया हुआ है। प्रार्थी संख्या 2 बुद्धाराम एवं उसका भाई अप्रार्थी संख्या 4 भीकाराम व दयालराम फौत के का.मु. प्रार्थी संख्या 3/1 व 3/2 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 57 व 58 है जिसका भी मौके पर पारिवारिक बंट्वाड़ा किया हुआ है। प्रार्थी संख्या 4 जैराम तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रभु व अप्रार्थी संख्या 3 दुर्गाराम सगे भाई है जिसकी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 56 है। जिसका भी मौके पर पारिवारिक बंट्वाड़ा किया हुआ है। खसरा संख्या 61 गैरमुमकिन रास्ता सरहद मौजा खारचिया में है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा संख्या 35,52,56,57,58 में आने जाने के लिए खसरा संख्या 61 गैरमुमकिन रास्ते से खसरा संख्या 59,58,56 की दक्षिणी माठ के [illegible] फीट चौड़ा रास्ता कदीम से उपयोग व उपभोग करते आये है। अप्रार्थी [illegible] अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 59 में बने हुए 20 फीट चौड़े रास्ते को [illegible] कर दिया है अतः उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जाना आवश्यक है। [illegible]ः खसरा संख्या 59,58 व 56

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

दक्षिणी माठ के सहारे 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. अप्रार्थीगण संख्या 02 से 04 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथनो का समर्थन किया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा संख्या 35,52,56,57 व 58 उनके खातेदारो के बीच संयुक्त व सामलाती है जिसका बाई मिट्स एण्ड बंटवाड़ा नही हो रखा है। तथा खसरा नम्बर 35 एवं 52 तथा खसरा नम्बर 56,57,58 की भूमि में आवागमन के लिए रास्ता वर्षो पूर्व से खसरा संख्या 34 की भूमि से निकलता हुआ खारचिया से बांकावास निकलने वाले रास्ते तक जाता है। इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 04 सहित चन्द्राराम स्वयं अपने खातेदारी भूमि में आवागमन करते रहे है। खसरा संख्या 59 की भूमि में दक्षिणी पूर्वी तरफ जवाब देहन्दा का पक्का रहवासी मकान बना हुआ है तथा पूर्वी माठ पर पक्की चारदीवारी बनी हुई है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 35 एवं 52 के सहखातेदार चन्द्राराम को पक्षकार नही बनाया गया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. भू.अ.नि. लाम्बिया द्वारा तैयार एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.02.2021 एवं दिनांक 03.11.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 35 व 52 के लिए न्युनतम एवं निकट्तक दूरी का विकल्प बांकास-खारचिया गैरमुमकिन रास्ता खसरा संख्या 122 से खसरा संख्या 34 में से जो खसरा संख्या 35 की सीमा तक पहुंचता है जबकि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 56,58 व 59 में से चल रहे कथित कदीमी रास्ते को भू अभिलेख में दर्ज किए जाने की मांग की है। धारा 251क के विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत केवल जोत तक पहुंचने के लिए आत्यंतिक आवश्यकता की दशा में न्यूनतम एवं निकटत्म विकल्प को सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानो के अन्तर्गत किसी कदीमी रास्ते को केवल इस आधार पर रास्ता दर्ज नही किया जा सकता कि वह कदीम से चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 34 के खातेदारान् गुटी देवी पत्नी भीकाराम, लक्ष्मणराम पुत्र भीकाराम तथा सुरेन्द्र पुत्र भीकाराम को बतौर पक्षकार संयोजित नही किया है। अतः ऐसी दशा में खसरा संख्या 35 में से रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि धारा 251 क के अन्तर्गत कदीम से चल रहे रास्तो को भू अभिलेख में दर्ज किए जाने का कोई प्रावधान नही होने तथा प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिए उपलब्ध न्यूनतम एवं निकटत्म विकल्प के खसरा संख्या 34 के खातेदारान् को पक्षकार नही बनाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नही होता है अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बख़ूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली ... शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
जैतारण, (जिला-पाली)
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 28/03/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)
पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला-पाली